617

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान–302005

क्रमांकः एफ 25(37)/परि/कंप्यू/2012–13/7622 जयपुर,दिनांकः 29-05-2020

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त

विषयः परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं/बजट मदों के चालान सीधे ही ई–ग्रास पोर्टल पर नहीं बनने एवं वाहन 4.0 एवं सारथी 4.0 के माध्यम से चालान बनने के संबंध में।

परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं/बजट मदों के चालान बनाने की सुविधा वाहन 4.0 एवं सारथी 4.0 के माध्यम से एवं सीधे ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। ई–ग्रास पोर्टल पर सीधे ही चालान बनाकर राशि जमा करवाने के कारण आ रही समस्याओं के समाधान के लिए दिनांक 15.06.2020 से परिवहन विभाग से संबंधित निम्न बजट शीर्षों को ई–ग्रास पर लेन–देन के संबंध में आमजन हेतु ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. 0041–00–102–08–01
2. 0041–00–102–08–02
3. 0041–00–102–08–03
4. 0041–00–102–09–01
5. 0041–00–102–09–02
6. 0041–00–102–09–03
7. 0041–00–102–10–01
8. 0041–00–102–10–02
9. 0041–00–102–10–03
10. 0041–00–102–12–00

उक्त व्यवस्था के उपरांत, दिनांक 10.07.2019 की विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा मोटर वाहन कर की गणना के लिए GVW एवं बैठक क्षमता आधारित नवीन व्यवस्था के लागू होने के उपरांत समस्त वाहनों के लेखे वाहन 4.0 पर स्वतः ही अद्यतन हो जावेंगे तथा प्रत्येक चालान का वाहनवार मैन्युअल इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अतः दिनांक 15.06.2020 से परिवहन विभाग की सेवाओं हेतु राशि विभागीय वेबसाईट www.parivahan.gov.in पर उपलब्ध वाहन 4.0 एवं सारथी 4.0 एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। आमजन के सूचनार्थ उक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25(37)/परि/कंप्यू/2012–13/7623-7627 जयपुर,दिनांकः 29-05-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान।
2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान।
4. अपर परिवहन आयुक्त (कर/नियम), परिवहन विभाग, राजस्थान।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)

Scanned with CamScanner